

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2096]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

No. 2096]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2015

का.आ. 2647(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजपत्र, भाग-1, खंड-2, तारीख 31 मई, 2012 में प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. ए-35011/11/2011-प्रशा.III तारीख 31 मई, 2012 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, श्री नीलिमेष बरूआ, आईआरएस (आईटी 85) को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 30 मई, 2017 तक या जब तक आदेश न हो, जा पूर्वतम हो, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में निर्देशक नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-35011/08/2015-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2647(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Ministry of Corporate Affairs notification

number A-35011/11/2011-Admn III dated the 31st May, 2012, published in the Gazette of India, Part I, Section 2 dated the 31st May, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Shri Nilimesh Baruah, IRS (IT-85) as the Director in the Serious Fraud Investigation Office for the remaining period of his tenure i.e., upto 30th May, 2017 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-35011/08/2015-Admn.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.